"कार्यालय ज्ञाप"

श्री संजीव कुमार,उघान निरीक्षक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को तत्कालीन आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ मण्डल, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 37/वि0प्रा0/2022–2023 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा कार्यहित में तत्काल प्रभाव से बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के उघानिक सवंर्ग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो के निष्पादन के लिए अग्रिम आदेशो तक अस्थाई रूप से सम्बद्व किये जाने के आदेश किये गये है।

इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्रधिकरण गाजियाबाद के पंत्राक सं0 418/उघान अनु0/23 दि0 30–05–2023 तथा उपाध्यक्ष बुलन्दशहर विकास प्रधिकरण, बुलन्दशहर के पत्र सं0 368 /वि0प्रा0/2023–24 दिनांक 16.06.2023 के द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत, पूर्व पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 मे आशिंक रुप से संशोधन करते हुए, एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से यह आदेश पारित किये जाते हैं कि श्री संजीव कुमार, उघान निरीक्षक द्वारा सप्ताह मे 3 दिन (सोमवार से बुद्धवार तक) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, तथा सप्ताह मे 3 दिन (वृहस्पतिवार से शनिवार तक) बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ में उघानिक कार्यो के निष्पादन/समुचित पर्यवेक्षण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

इस अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री संजीव कुमार,उघान निरीक्षक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण से कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता अनुमन्य नही होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(सेल्वा कुमारी जे.)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

कार्यालय, आयुक्त/अध्यक्ष मेरठ मण्डल, मेरठ।

पत्रांक 377/पी0ए0/2023–24 दिनांक 28 जून, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्रधिकरण, गाजियाबाद।
2. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्रधिकरण, बुलन्दशहर।
3. श्री संजीव कुमार,उघान निरीक्षक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

26/6/23

(सेल्वा कुमारी जे.)
आयुक्त/अध्यक्ष,
मेरठ मण्डल, मेरठ।